उत्तराखण्ड शासन
न्याय अनुभाग–1
विज्ञापन संख्या–112/XXXVI-A-1/2024-492/2007

देहरादून **दिनांकः 06 मार्च, 2024**

विज्ञप्ति / प्रेस नोट

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में योजित वादों के विचारण / निस्तारण हेतु क्रमशः उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) एवं सदस्य (प्रशासकीय) के पदों पर नियुक्ति हेतु निर्धारित अर्हता रखने वाले सेवानिवृत्त प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों इस विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

2 रिक्त पदों का विवरणः– उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) – 01 पद
सदस्य (प्रशासकीय) – 01 पद

3. निर्धारित अर्हता–

i. उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (4–क) में प्राविधानित **उपाध्यक्ष (प्रशासकीय)** के पद हेतु निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गयी हैः–

उपधारा (4–क) कोई व्यक्ति उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक कि–

(क) उसने **प्रशासकीय सदस्य** का पद धारण न किया हो. या

(ख) उसने राज्य सरकार के अधीन **सचिव** का पद या भारत सरकार के **संयुक्त सचिव** के पद के **समकक्ष पद** धारण न किया हो और उसे राज्य सरकार की राय में न्याय करने का पर्याप्त अनुभव हो।

ii **सदस्य (प्रशासकीय)** के पद हेतु लोक सेवा अधिकरण अधिनियम की धारा–3(6) में निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गयी हैः–

"भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी या रूपये 18400–22400 (यथा संशोधित 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान) या उससे अधिक के वेतनमान में प्रान्तीय सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) का कोई अधिकारी किसी प्रशासकीय सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, परन्तु कि उसे न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव हो।"

नोट– अभ्यर्थी अपनी पात्रता के सम्बन्ध में वांछित अर्हता के दृष्टिगत आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से पूर्व में की गयी सेवा के पद, कार्य तथा अनुभव का सम्पूर्ण विवरण प्रमाण सहित उल्लेख करेंगे।

4. **नियुक्ति प्रक्रियाः**–

लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा–3(7) के अनुसार **उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) एवं सदस्य (प्रशासकीय)** की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरान्त की जायेगी, जिसका प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा मा० उच्च न्यायालय को सन्दर्भित किया जायेगाः

परन्तु कोई व्यक्ति यथास्थिति उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण नहीं करेंगा, जब तक कि उसने यथास्थिति भारतीय प्रशासनिक सेवा से या उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा से भिन्न किसी अन्य सेवा से, जिसमें वह सेवारत था, त्याग पत्र न दे दिया हो या सेवानिवृत्त न हो गया हो।

5 **पदावधि**

उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 की धारा–3(8) के अनुसार उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य के कार्यकाल की पदावधि कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष तक होगी, जो कि अन्य 05 वर्ष के लिए पुर्ननियुक्ति का पात्र होगा।

परन्तु उपाध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपने पद को धारण नहीं करेगा, जब उसनेः

(क) .....

(ख) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2022 से यथासंशोधित, अधिनियम की धारा–3(8) (ख) के अनुसार उपाध्यक्ष एवं किसी अन्य सदस्य के कार्यकाल की पदावधि मामले में 67 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।

6. **वेतनमान**

नियुक्त होने वाले अधिकारियों को उत्तराखण्ड लोक सेवा **अधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2018** में निम्नानुसार निर्धारित वेतन अनुमन्य होगा–

i- उपाध्यक्ष– ₹ 2,25,000 / – (रू० दो लाख पच्चीस हजार) प्रतिमाह

ii- सदस्य– ₹ 1,82,200–2,24,100 (रु० एक लाख बयासी हजार दो सौ–दो लाख चौबीस हज़ार एक सौ) प्रतिमाह,

परन्तु यह कि उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त किसी व्यक्ति का, जो केन्द्र या किसी राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हुआ हो, वेतन ऐसी सेवानिवृत्ति के समय उसे भुगतान किये गये या देय वेतन से कम नही होगा,

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जो पेंशन के रूप में सेवानिवृत्ति के किसी लाभ को प्राप्त करता है या प्राप्त किया है या प्राप्त करने का हकदार हो गया, तो उसके उपर्युक्त वेतन से पेंशन की सकल राशि को, जिसमें व्यक्ति की सरांशीकृत पेंशन का भाग यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, कम कर दिया जायेगा।

नोट– उक्त अधिकारियों को भत्ते एवं अन्य सुविधायें समय–समय पर जारी राज्य सरकार के शासनादेशों / नियमावली के अनुसार अनुमन्य होंगे।

7. **अभ्यर्थी का चरित्र एवं शारीरिक स्वस्थता** पदानुरूप होना चाहिए। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशो का भली–भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

8 **आवेदन कैसे करें**:–

इच्छुक पात्र अभ्यर्थी निर्धारित **संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप** में अपना आवेदन पत्र सुसंगत संलग्नको / प्रमाण सहित, विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से **15 दिन के भीतर, कार्यालय प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, सोबन सिंह जीना भवन, भूतल, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, 4 सुभाष रोड़, देहरादून–248001** को संबोधित करते हुए **स्पीड पोस्ट / पंजीकृत डाक / कोरियर अथवा व्यक्तिगत रूप** से उपलब्ध करा सकते हैं। अन्तिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(रजनी शुक्ला)
अपर सचिव

उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून में उपाध्यक्ष (प्रशासकीय) तथा सदस्य (प्रशासकीय) के एक–एक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम .....

1 अभ्यर्थी का नाम .....

2. पिता / पति का नाम.....

3 जन्मतिथि / वर्तमान आयु.....

4 स्थायी पता.....

.....

5. पत्र व्यवहार का पता.....

.....

6. मोबाईल नम्बर .....

आवेदक की सत्यापित फोटो

7. ई–मेल आई०डी०.....

8 अन्तिम धारित पद का वेतनमान सहित पूर्ण विवरण.....

.....

9. सम्पूर्ण सेवाकाल में धारित पदों एवं कार्य अनुभव का विवरण (प्रमाण संलग्न करें)

क्र०सं०	पदनाम जिस पर कार्यरत रहे।	न्यायालय / विभाग / कार्यालय, जहाँ तैनात रहे	सेवाकाल की अवधि		अनुभव
			कब से	कब तक	
1	2	3	4	5	6

10. सेवानिवृत्ति / स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि....

11 क्या पूर्व में किसी न्यायालय / अधिकरण से दोषसिद्ध तो नहीं किये गये अथवा कोई अभियोजन लम्बित तो नहीं है? यदि हों तो पूर्ण विवरण .....

12 क्या पूर्व पदों पर रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाही आदि तो नहीं की गयी? यदि हों तो पूर्ण विवरण .....

13. पूर्व या वर्तमान में भारत सरकार / किसी अन्य राज्य सरकार के प्रतिष्ठान / विभाग / निगम / प्राधिकरण / न्यायाधिकरण / निजी प्रतिष्ठान / समकक्ष पदों पर सेवारत रहे हों तो पूर्ण विवरण .....

.....

अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह घोषित / प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दु 1 से 13 तक की समस्त सूचनाये स्वयं की जानकारी अनुसार सत्यतापूर्वक एवं प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर दी गयी है। यदि उक्त सूचनाओं में कोई असत्यता पायी जाती है, तो अधोहस्ताक्षरी स्वयं उत्तरदायी होगा।

दिनांक .....

स्थान .....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर